दिनांक 23.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 26/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जन शिकायतों की समीक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर लोक शिकायत पोर्टल विकसित करने के दिये निर्देश

श्री विजय कुमार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 23.09.2023 को पुलिस मुख्यालय पर समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **जन शिकायतों, आपरेशन कन्विक्शन (Operation Conviction), आपरेशन त्रिनेत्र** के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुये मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :-

- **जन शिकायतों** के सघन पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण हेतु एक नई व्यवस्था प्रारम्भ करते हुये **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय** ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनपद में थानावार एवं अन्य अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का संकलन **पुलिस मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा शीघ्र ही विकसित किये जा रहे लोक शिकायत पोर्टल** पर किया जायेगा। प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच एक सप्ताह में पूर्ण हो जाय, जिसकी समीक्षा लोक शिकायत शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
- थाना प्रभारी के थाने पर समय से जन शिकायतो की सुनवायी/निस्तारण हेतु बैठने का आकस्मिक रूप से वीडियों कालिंग के माध्यम से चेकिंग की जायेगी।

- **आपरेशन कन्विक्शन** अभियान के अन्तर्गत पूर्व में दिये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट द्वारा 20–20 अभियोग चिन्हित कर फॉस्ट ट्रैक कार्ट में ट्रायल कराते हुये अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाये।
- त्वरित गति से गवाहों की गवाही कराने जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- **आपरेशन त्रिनेत्र** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कैमरे बढ़ाये जाये ।
- ग्राम प्रधान के सहयोग से (नवीनतम् शासनादेश के अनुसार)गॉव के महत्वपूर्ण स्थानों, सम्पर्क मार्गो इत्यादि पर कैमरे लगवाये जाये।
- थाना क्षेत्र के सार्वजनिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्कूल, निर्जन स्थानों तथा महिला सुरक्षा आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगवाये जाये।
- आपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत अब तक लगभग 05 लाख कैमरे लगाये जा चुके है।

इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था/अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस, पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून–व्यवस्था सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

जनपद पीलीभीत/थाना जहानाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनॉकः 22.09.2023 की रात्रि थाना जहानाबाद, थाना अमरिया व थाना न्यूरिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परेवा वैश्य से अमरिया जाने वाली नहर पटरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नईम उर्फ मुन्ना घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आरिफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहानाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, बरेली, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त नईम उर्फ मुन्ना के विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नईम उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

2—आरिफ निवासी ग्राम परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली हालपता—फाईक इन्कलेव थाना बारादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 कार आदि ।

जनपद मुरादाबाद/थाना कांठ

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट के रूपयों से खरीदी गयी 01 मोटर साइकिल, 01 एटीएम कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.09.2023 को थाना कांठ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनकुआ बस अड्डा अमरोहा रोड पर घेराबन्दी कर 02 अभियुक्तों 1—साहिल 2—मुद्दसिर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्त फरमान उर्फ पम्मा की घेराबन्दी की गयी तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 3—फरमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद, लूट के रूपयों से खरीदी गयी 01 मोटर साइकिल, 01 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 16.09.2023 को थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कांठ पर अभियोग पंजीकृत

कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कांठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साहिल निवासी मोहल्ला अंसरियान कस्बा उमरी कलां थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

2—मुद्दसिर निवासी मोहल्ला फरीदगंज कस्बा उमरी कलां थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

3—फरमान निवासी मोहल्ला विद्यासाह उमरीकलां थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 49 हजार 500 रूपये नगद।

2—लूट के रूपयों से खरीदी गयी 01 मोटर साइकिल, 01 एटीएम कार्ड।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 25 हजार रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.09.2023 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नउवाबाग तिराहा से अभियुक्त 1—राजमल को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 2—असवंत उर्फ कल्लू 3—शैलेन्द्र कुमार

4—मेहताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 25 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 22.09.2023 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा रूपये लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजमल निवासी छवड़ा थाना छवड़ा जनपद बारा, राजस्थान हालपता—ग्राम गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, म0प्र0।
2—असवंत उर्फ कल्लू निवासी कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, म0प्र0।
3—शैलेन्द्र कुमार निवासी गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, म0प्र0।
4—मेहताब निवासी कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, म0प्र0।

बरामदगी

1—लूट के 25 हजार रूपये नगद।
2—04 मोबाइल फोन।
3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।
4—03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट की 01 सोने की चैन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 22.09.2023 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीवाल पार्क के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की

घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक:20.09.2023 को थाना हरीपर्वत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चैन लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद चैन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित निवासी नगला महल खिन्नी थाना ताजगंज, आगरा।

बरामदगी

1—लूट की 01 सोने की चैन।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली हाटा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी का 01 लाख रूपये नगद**
- **चोरी का चार्जर आदि**
- **लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध चरस**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद**

दिनॉकः 23.09.2023 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—उमाशंकर 2—विकास कुमार 3—अशोक 4—राजेश कुमार 5—सुरेश

प्रसाद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 लाख रूपये नगद, चोरी का चार्जर आदि, लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध चरस, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमाशंकर निवासी घोड़ासहन थाना घोड़ासहन जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार।

2–विकास कुमार निवासी नौरंगाबाद थाना टाउन जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार।

3–अशोक निवासी घोड़ासहन थाना घोड़ासहन जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार।

4–राजेश कुमार निवासी जयनगर बजरंगी बाजार थाना नौतन जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार।

5–सुरेश प्रसाद निवासी बेतिया थाना मुफस्सिल जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार।

बरामदगी

1–चोरी का 01 लाख रूपये नगद।

2–चोरी का चार्जर आदि।

3–लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध चरस।

4–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन।

जनपद जौनपुर/थाना सरपतहॉ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया, 02 दो पहिया वाहन**
- **44 हजार 900 रूपये नगद**
- **गाड़ी के पार्ट्स, चाभी का गुच्छा आदि बरामद**

दिनॉक:23.09.2023 को थाना सरपतहॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–राम प्रताप 2–प्रताप 3–दयाशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया, 02 दो

पहिया वाहन, 44 हजार 900 रूपये नगद, गाड़ी के पाट्र्स, चाभी का गुच्छा आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रामप्रताप के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, गैगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग व अभियुक्त दयाशंकर के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, जौनपुर, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरपतहॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राम प्रताप निवासी गैरवाह(शाहपुर) थाना सरपतहॉ जनपद जौनपुर।

2–प्रताप निवासी बूमकहां थाना सरपतहॉ जनपद जौनपुर।

3–दयाशंकर निवासी पूरे(कछवा रोड) थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 02 चार पहिया, 02 दो पहिया वाहन।

2–44 हजार 900 रूपये नगद।

3–गाड़ी के पाट्र्स, चाभी का गुच्छा आदि।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 बंदूक, 05 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.09.2023 को थाना पिलखुवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डूहरी पेट्रोल पम्प के पीछे पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–करन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मोहित सहित गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर गिरफ्तारी के

क्रम में बड़ौदा हिन्दुवान रेलवे फाटक के पास से अभियुक्त 3–फैजान 4–आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 बंदूक, 05 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बंदूक उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2–मोहित निवासी सूरजपुर थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

3–फैजान निवासी स्याना थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर हालपता–स्कोर्ट कालोनी दादरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

4–आरिफ निवासी कठेरा रोड दादरी , गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 बंदूक, 05 जीवित कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 6 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23.09.2023 को थाना जहॉगीराबाद, थाना घुघटेर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना जहॉगीराबाद क्षेत्र में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग

कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नूर आलम उर्फ नूरे 2–हफीज उल्ला उर्फ सलमान घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–शाहिद अली 4–महबूब आलम उर्फ कल्लू 5–आलोक कुमार उर्फ सोनू 6–मिथुन कुमार उर्फ मामा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हफीज उल्ला उर्फ सलमान के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहॉगीराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नूर आलम उर्फ नूरे निवासी रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

2–हफीज उल्ला उर्फ सलमान निवासी जमाल कमाल तकिया थाना देवा जनपद बाराबंकी।

3–शाहिद अली निवासी आलापुर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

4–महबूब आलम उर्फ कल्लू निवासी जमाल कमाल तकिया थाना देवा जनपद बाराबंकी।

5–आलोक कुमार उर्फ सोनू निवासी पलिया मसूदपुर थाना जहॉगीराबाद, जनपद बाराबंकी।

6–मिथुन कुमार उर्फ मामा निवासी नटखेड़ा पारा थाना गुडम्बा, लखनऊ हालपता–अछई का पुरवा थाना देवा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 87 लाख 78 हजार 500 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस ने अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार 2–लोकेश उर्फ बबलू उर्फ बदलुआ पुत्रगण रामऔतार सिंह निवासी ग्राम दौगवां थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 87 लाख 78 हजार 500 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———